

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 12/2024

अनवान : -

1. विनोद कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. औमप्रकाश पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. हरी कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. संतोष देवी पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. पल्लवी चौधरी पत्नी अनिल जाति जाट निवासी 148 नई धानमण्डी हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: -29/02/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि से पैदाकर्ता खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 262/243 के कुल खसरे 22 की कुल तादादी 4.5540 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 152/137 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 9.3610 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ब० हि० ब० दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 84/78 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.0360 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ब० हि० ब० दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 93/84 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.0120 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के ब० हि० ब० दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 99/90 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 2.2770 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के ब० हि० ब० दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 100/91 के कुल खसरे 35 की कुल तादादी 5.3480 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 37/37 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.6320 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का 39/79 हिस्सा एवं वादी संख्या 4 का 40/79 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी

सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 110/100 के कुल खसरे 17 की कुल तादादी 4.2990 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 का 253/4299 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 60/56 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 3.7950 है0 भूमि में से 506/1897 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादीया संख्या 4 जो कि प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पिता के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 4 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है। उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि बाबत दिनांक 20.12.2022 को पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 5 बी बाराणी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2071-2074 के खाता संख्या 262/243 के कुल खसरे 22 की कुल तादादी 4.5540 है0 भूमि व रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 84/78 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.0360 है0 भूमि व रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2074-2077 के खाता संख्या 93/84 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.0120 है0 भूमि उपरोक्त तीनों खातों की भूमि पर वादी अकेला काबिज है तथा रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 99/90 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 2.2770 है0 भूमि व रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 100/91 के कुल खसरे 35 की कुल तादादी 5.3480 है0 भूमि में से 4.083 है0 भूमि एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 37/37 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.6320 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 अकेला काबिज है। रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 152/137 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 9.3610 है0 भूमि व रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 110/100 के कुल खसरे 17 की कुल तादादी 4.2990 है0 भूमि में से 253/4299 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 60/56 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 3.7950 है0 भूमि में से 506/1897 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है। रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 100/91 के कुल खसरे 35 की कुल तादादी 5.3480 है0 भूमि में से 1.265 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 3 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

01
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 4 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार की सदस्य है। प्रतिवादीया संख्या 4 ने उक्त वाद भूमि में से अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। पक्षकारान के मध्य दिनांक 20.12.2022 को बाहमी राजीनामा हुआ है। उसी के मुताबिक वाद वादी डिक्री करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि से पैदाकर्ता खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 262/243 के कुल खसरे 22 की कुल तादादी 4.5540 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 152/137 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 9.3610 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ब० हि० ब० दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 84/78 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.0360 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ब० हि० ब० दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर

के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 93/84 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.0120 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के ब० हि० ब० दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 99/90 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 2.2770 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के ब० हि० ब० दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 100/91 के कुल खसरे 35 की कुल तादादी 5.3480 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 37/37 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.6320 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का 39/79 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 40/79 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 110/100 के कुल खसरे 17 की कुल तादादी 4.2990 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 का 253/4299 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 60/56 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 3.7950 है० भूमि में से 506/1897 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। प्रतिवादीया संख्या 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 262/243 के कुल खसरे 22 की कुल तादादी 4.5540 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 152/137 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 9.3610 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 84/78 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.0360 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 93/84 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.0120 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 99/90 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 2.2770 है० भूमि में से

वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 100/91 के कुल खसरे 35 की कुल तादादी 5.3480 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 352/379 (31) के किला नं. 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2 17, 24, 25/1, 25/2 प0 नं0 352/380 (36) किला नं. 2 यानी कुल 1.263 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 37/37 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.6320 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 व 4 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 352/379 (31) के किला नं. 23/2 की 0.106 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 110/100 के कुल खसरे 17 की कुल तादादी 4.2990 है0 भूमि में से 253/4299 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 60/56 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 3.7950 है0 भूमि में से 506/1897 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 12/2024

अनवान : -

1. विनोद कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. औमप्रकाश पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. हरी कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. संतोष देवी पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. पल्लवी चौधरी पत्नी अनिल जाति जाट निवासी 148 नई धानमण्डी हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 08 सन 2024 निर्णय दिनांक - 29/02/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 बी बरानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 262/243 के कुल खसरे 22 की कुल तादादी 4.5540 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 152/137 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 9.3610 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 84/78 के कुल खसरे 15 की कुल तादादी 3.0360 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 93/84 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.0120 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 99/90 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 2.2770 है0 भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 100/91 के कुल खसरे 35 की कुल तादादी 5.3480 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 352/379 (31) के किला नं. 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2 17, 24, 25/1, 25/2 प0 नं0 352/380 (36) किला नं. 2 यानी कुल 1.263

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 37/37 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.6320 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 व 4 का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 352/379 (31) के किला नं. 23/2 की 0.106 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 110/100 के कुल खसरे 17 की कुल तादादी 4.2990 है० भूमि में से 253/4299 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 60/56 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 3.7950 है० भूमि में से 506/1897 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

PK
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर